न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 28/2020 **दायर दिनांकः 02/03/2020**

उनवान

1. योगेन्द्र नागर आयु 38 वर्ष पुत्र ओमप्रकाश
2. महेश आयु 35 वर्ष पुत्र ओमप्रकाश जातियान धाकड निवासीगण कंवरपुरा तह0 अटरू जिला बारां (राज0) **वादीगण**

बनाम

1. ओमप्रकाश आयु 64 वर्ष पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी कंवरपुरा तह0 अटरू जिला बारा (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारा (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री हरीश गालव।

आदेश दिनाकः 16/03/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0 टी0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एंव माल कंवरपुरा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 70 का ख0 न0 271 का रकबा 0.71 है0 कुल किता 1 का रकबा 0.71 है0 मे हिस्सा 1/3 प्रतिवादी क्रम 1 के दर्ज खाते चली आ रही है। व खाता संख्या 3 का ख0 न0 131 का रकबा 0.12 है0 ख0 न0 223 का रकबा 1.13 है0 ख0 न0 306 का रकबा 1.00 है0 ख0 न0 58 का रकबा 0.22 है0 कुल किता 4 का रकबा 2.47 है0 प्रतिवादी क्रम 1 के दर्ज खाते चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 वाद पत्र के साथ संलग्न है ग्राम एंव माल मुसई गुजरान तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 365 का ख0 न0 770 का रकबा 0.59 है0 ख0 न0 780 का रकबा 1.60 है0 ख0 न0 781 का रकबा 0.67 है0 ख0 न0 782 का रकबा 0.02 है0 ख0 न0 783 का रकबा 0.02 है0 ख0 न0 784 का रकबा 0.20 है0 ख0 न0 785 का रकबा 0.16 है0 कुल किता 7 का रकबा 3.26 है0 मे हिस्सा 1/3 प्रतिवादी क्रम 1 के दर्ज खाते चली आ रही है। व खाता संख्या 18 का ख0 न0

770/1652 का रकबा 0.15 है0 ख0 न0 785/1653 का रकबा 0.15 है0 कुल किता 2 का रकबा 0.30 है0 मे हिस्सा 1/2 प्रतिवादी कम 1 के दर्ज खाते चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद0 1 मे वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है। जो वादीगण के दादाजी भैरूलाल के खाते दर्ज थी उक्त आराजी प्रतिवादी कम 1 को पिता भैरूलाल से प्राप्त हुई थी तथा वादीगण प्रतिवादी कम 1 की सन्ताने है। जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी को वादीगण व प्रतिवादी कम 1 अपने अपने हिस्से को कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। ग्राम एंव माल कंवरपुरा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 70 का कुल किता 1 का रकबा 0.71 है0 मे वादीगण व प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/9, 1/9 बनता है। व खाता संख्या 3 का कुल किता 4 का रकबा 2.47 है0 मे वादीगण व प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/3,1/3 बनता है। व ग्राम एंव माल मुसई गुजरान तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 365 का कुल किता 7 का रकबा 3.26 है0 मे मे वादीगण व प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/9,1/9 बनता है। व खाता संख्या 18 का कुल किता 2 का रकबा 0.30 है0 मे वादीगण व प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/6,1/6 बनता है। जिसमे वादीगण का जन्म से ही अधिकार बनता है। मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे से वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी हिस्सा 1/9, 1/3, 1/9, 1/6 को अलग से अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन प्रतिवादी कम 1 से किया तो प्रतिवादी कम 1 ने वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे अलग से नाम दर्ज करवाने से साफ मना कर दिया तथा वादीगण ने दिनांक 12.01.2020 को प्रतिवादी कम 1 से फिर निवेदन किया कि हमारे हिस्से की आराजी 1/9, 1/3, 1/9, 1/6 को हमारे खाते राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दर्ज करवाया जावें।परन्तु प्रतिवादी कम 1 ने फिर साफ मना कर दिया जबकि वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दर्ज नही होने से वादीगण को कई समस्याओ का सामना करना पड रहा है। वादीगण कै0 सी0 सी0 नही बनवा सकते तथा अन्य सरकारी योजनाओ का लाभ भी नही ले सकते जिससे वादीगण को बहुत नुकसान उठाना पड रहा है। जबकि वादीगण का वाद पत्र की मद0 न0 1 मे वर्णित आराजी मे जन्म से अधिकार बनता है। जिसे प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी कम 1 द्वारा किये जा रहे अवेधानिक एंव गैर कानुनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। वादीगण वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे से अपने हिस्से 1/9, 1/3, 1/9, 1/6 की आराजी को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वाद

कारण प्रथमबार वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से अपने हिस्से की आराजी 1/9, 1/3, 1/9, 1/6 को अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन करने पर तथा प्रतिवादी द्वारा मना करने पर व अन्तिम बार दिनांक 25.02.2020 को दोबारा साफ मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र मे उत्पन्न हुआ उक्त आराजी पर रहन का नोट हमारे हिस्से की आराजी पर दर्ज कर दिया जावें। जिसमे हमे कोई आपति नही है। विवाद ग्रस्त आराजी ग्राम व माल कंवरपुरा व मुसई गुजरान तहसील अटरू जिला बारां मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद मे आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी क्रम 2 बनाया है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पैश हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 सादिर फरमाई जावें।

(अ) वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 1 के मुताबिक हिस्सा ग्राम एंव माल कंवरपुरा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 70 का कुल किता 1 का रकबा 0.71 है0 मे वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/9,1/9 व खाता संख्या 3 का कुल किता 4 का रकबा 2.47 है0 मे वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/3,1/3 व ग्राम एंव माल मुसई गुजरान तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 365 का कुल किता 7 का रकबा 3.26 है0 मे मे वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/9,1/9 व खाता संख्या 18 का कुल किता 2 का रकबा 0.30 है0 मे वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/6,1/6 राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे नाम दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ने उपस्थित होकर राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि उपरोक्त उनवान का प्रकरण माननीय न्यायालय मे जेरकार है। जिसमे आज तारीख पेशी नियत है।

ग्राम एवं माल कंवरपुरा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 70 की ख0नं0 271 की 0.71 है0 कुल किता 1 की 0.71 है0 में प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/3 दर्ज खाता है। व खाता सं0 3 की ख0नं0 131 की 0.12 है0 ख0नं0 223 की 1.13 है0 ख0नं0 306 की 1.00 है0 ख0नं0 58 की 0.22 है0 कुल किता 4 की 2.47 है0 आराजी प्रतिवादी कम 1 को खाते दर्ज है। ग्राम व माल मुसई गुजरान तहसील अटरू की खाता संख्या 365 की ख0नं0 770 की 0.59 है0 ख0नं0 780 की 1.60 है0, ख0नं0 781 की 0.67 है0 ख0नं0 782 की 0.02 है0 ख0नं0 783 की 0.02 है0 ख0नं0 784 की 0.20 है0, ख0नं0 785 की 0.16 है0 कुल किता 7 की 3.26 है0 में प्रतिवादी कम 1 के हिस्सा 1/3 दर्ज खाता है। व खाता संख्या 18 की ख0नं0 770/1652 की 0.15 है0 ख0नं0 785/1653 की 0.15 है0 कुल किता 2 की 0.30 है0 आराजी में प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/2 दर्ज खाता है। जो प्रतिवादी कम 1 की पैत्रक सम्पत्ति है। उक्त वाद में वादीगण व प्रतिवादी कम के मध्य आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है। जो निम्न प्रकार है। ग्राम व माल कंवरपुरा तहसील अटरू की खाता संख्या 70 की कुल किता 1 की 0.71 है0 आराजी में वादी कम 1 योगेन्द्र नागर 2 महेश को हिस्सा 1/6–1/6 का कृषक खातेदार घोषित किया जावें। ग्राम व माल कंवरपुरा तहसील अटरू की खाता संख्या 3 की ख0नं0 223 की 1.13 है0 में से 0.42 है0 आराजी वादी कम 1 योगेन्द्र नागर व 0.71 है0 आराजी वादी कम 2 महेश के दर्ज कर कृषक खातेदार घोषित किया जावें व शेष ख0नं0 131 की 0.12 है0 ख0नं0 306 की 1.00 है0 ख0नं0 58 की 0.22 है0 आराजी को प्रतिवादी कम 1 औमप्रकाश के ही खाते दर्ज रखा जावें। ग्राम व माल मुसईगुजरान तहसील अटरू की खाता संख्या 365 की कुल किता 7 की 3.26 है0 आराजी में वादी कम 1 योगेन्द्र नागर 2 महेश को हिस्सा 1/6–1/6 का कृषक खातेदार घोषित किया जावें। ग्राम व माल मुसईगुजरान तहसील अटरू की खाता सं0 18 की कुल किता 2 की 0.30 है0 आराजी में वादी कम 1 योगेन्द्र नागर 2 महेश को हिस्सा 1/4–1/4 का कृषक खातेदार घोषित किया जावे।

अतः श्रीमान की सेवा में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वादीगण व प्रतिवादी कम 1 के मध्य हुए राजीनामे को तस्दीक करने की कृपा करें।

राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया गया वादीगण की पहचान श्री महावीर नागर एड़0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी की पहचान श्री हरिश गालव एड़0 द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0फा0 किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया विवादित आराजी ग्राम प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम कंवरपुरा की खाता संख्या 70 ख0नं0 271 रकबा 0.71 कुल

किता 1 के हिस्सा 1/3 खाते दर्ज है, व खाता संख्या 3 किता 4 रकबा 2.47 है0 प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज है। तथा ग्राम मुसईगुजरान की खाता संख्या 365 ख0नं0 किता 7 रकबा 3.26 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/3 खाता दर्ज है। व खाता सं0 18 की किता 2 रकबा 0.30 है0 प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 दर्ज है। उक्त भूमि पैत्रिक सम्पत्ति होने से वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। राजीनामें अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी राजीनामें अनुसार ग्राम कंवरपुरा की खाता संख्या 70 किता 1 रकबा 0.71 है0 प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/3 खाते में दर्ज है। जिसमें वादीगण को 1/6—1/6 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। व ग्राम कंवरपुरा की खाता संख्या 3 किता 4 रकबा 2.47 में से ख0नं0 223 रकबा 1.13 है0 में से 0.42 है0 वादी क्रम 1 को तथा वादी क्रम 2 को ख0नं0 223 रकबा 1.13 मे से 0.71 है0 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। व प्रतिवादी क्रम 1 के ख0नं0 131 की 0.12 है0 ख0नं0 306 रकबा 1.00 है0 ख0नं0 58 रकबा 0.22 है0 आराजी खाते में रहेगी। प्रतिवादी के रहन का नोट दर्ज किया जावें। व खाता संख्या 365 की कुल किता 7 रकबा 3.26 है0 हिस्सा 1/3 में से वादी क्रम 1 व 2 को हिस्सा 1/6—1/6 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। रहन का नोट वादीगण के खाते दर्ज किया जावें। एवं ग्राम मुसाई गुजरान की खाता सं0 18 किता 2 रकबा 0.30 है0 हिस्सा 1/2 में 1/4—1/4 हिस्से पर वादी क्रम 1 व 2 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 28/2020

उनवान

1. योगेन्द्र नागर आयु 38 वर्ष पुत्र ओमप्रकाश
2. महेश आयु 35 वर्ष पुत्र ओमप्रकाश जातियान धाकड निवासीगण कंवरपुरा तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश आयु 64 वर्ष पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी कंवरपुरा तह0 अटरू जिला बारा (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारा (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X...............................
बहाजिर :–
वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री हरीश गालव।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी राजीनामें अनुसार ग्राम कंवरपुरा की खाता संख्या 70 किता 1 रकबा 0.71 है0 प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/3 खाते में दर्ज है। जिसमें वादीगण को 1/6–1/6 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। व ग्राम कंवरपुरा की खाता संख्या 3 किता 4 रकबा 2.47 में से ख0नं0 223 रकबा 1.13 है0 में से 0.42 है0 वादी कम 1 को तथा वादी कम 2 को ख0नं0 223 रकबा 1.13 मे से 0.71 है0 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। व प्रतिवादी कम 1 के ख0नं0 131 की 0.12 है0 ख0नं0 306 रकबा 1.00 है0 ख0नं0 58 रकबा 0.22 है0 आराजी खाते में रहेगी। प्रतिवादी के रहन का नोट दर्ज किया जावें। व खाता संख्या 365 की कुल किता 7 रकबा 3.26 है0 हिस्सा 1/3 में से वादी कम 1 व 2 को हिस्सा 1/6–1/6 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। रहन का नोट वादीगण के खाते दर्ज किया जावें। एवं ग्राम मुसाई गुजरान की खाता सं0 18 किता 2 रकबा 0.30 है0 हिस्सा 1/2 में 1/4–1/4 हिस्से पर वादी कम 1 व 2 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 16.03.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.04.02 11:10:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: